

कार्यालय नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम, सहारनपुर ।

पत्र सं० 26 / स्वा०वि० / न०नि०सहा० / 2018


दिनांक 31/4/18

—:अल्पकालिक ई-निविदा सूचना:—

नगर आयुक्त महोदय सहारनपुर नगर निगम की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा नगर के 10 वार्डों/सैक्टरों में सफाई कार्य की पुनः आनलाईन निविदाएँ वर्ष 2018-19 के तीन माह की अवधि हेतु किसी भी सरकारी संस्था में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों से उनकी पंजीकरण सीमान्तर्गत दिनांक 30.04.2018 को दोपहर 2.00 बजे तक वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर आन लाईन के माध्यम से ई-निविदाएँ (टैक्निकल/फाईनेन्शियल) डबल बिड सिस्टम से आमन्त्रित की जाती है। निविदा शुल्क प्रत्येक कार्य हेतु 525.00 रु० प्रति कार्य की दर से आईसीआईसीआई बैंक अम्बाला रोड, पार्श्वनाथ प्लाजा सहारनपुर में, जो नगर निगम सहारनपुर द्वारा संचालित खाता संख्या 019101003452 में चालान द्वारा जमा कर निविदा के साथ एवं शर्त के अनुसार मांगे गये हैसियत प्रमाण, चरित्र प्रमाण पत्र, जी०एस०टी०, श्रम विभाग/ई०पी०एफ०/ई०एस०आई० पंजीकरण, ब्लैक लिस्ट न होने का प्रमाण एवं अन्य प्रपत्र अपलोड करना होगा एवं निविदा के साथ जमानत राशि प्रत्येक कार्य में अंकन एक लाख रूपये की एफडीआर/एनएससी जो लेखाधिकारी, नगर निगम, सहारनपुर के नाम बंधक कराकर एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों के साथ संलग्न कर दिनांक 30.04.2018 को सांय 3.00 बजे तक नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम सहारनपुर के कार्यालय में रखे टेन्डर बाक्स में डाल सकते हैं। प्राप्त निविदाएं दिनांक 30.04.2018 को समिति एवं उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष सांय 4:00 बजे खोली जायेगी। विस्तृत शर्तें/विवरण वेबसाइट <http://saharanpurnagarnigam.in> पर देखा जा सकता है।


E-Bid Reference	पत्रावली संख्या HDWST-01, HDWST-10, HDWST-12, HDWST-15, HDWST-17 से HDWST-19 तक HDWST-41, HDWST-42, HDWST-48
Publish date & time for RFP	23.04.2018 से
Last date time for submission of E-Bid	30.04.2018 दोपहर 2.00 बजे तक
Date & Time of Opening Bid	30.04.2018 सांय 4.00 बजे से
E-Bids security	01 लाख रु० एफ०डी०आर०/एन०एस०सी०
E-Tender document Processing	As per tender list

नोट- बिना जमानत राशि एवं टेन्डर मूल्य के किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।


नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम, सहारनपुर

पत्रांक एवं दिनांक तदैव
प्रतिलिपि-

1. जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्र०) महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ।
3. नगर आयुक्त महोदय की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
4. लेखाधिकारी, नगर निगम, सहारनपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. श्री कुलदीप आई०टी०ओ० को उक्त सूचना वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> एवं <http://saharanpurnagarnigam.in> पर निविदा एवं विवरण/शर्तें अपलोड करने हेतु।
6. सम्पादक दैनिक पंजाब केसरी एवं दैनिक शाह टाइम्स को इस आशय से कि उक्त विज्ञापन सूचना का प्रकाशन कम से कम स्पेस में (नौ फोन्ट) में डीएवीपी दर पर कराकर बिल 2 प्रतियों में समाचार पत्र की 3 प्रतियों सहित प्रस्तुत करें।
7. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
8. गार्ड फाईल हेतु।


नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम, सहारनपुर।

—:अल्पकालिक ई-निविदा सूचना:—


नगर आयुक्त महोदय सहारनपुर नगर निगम की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा नगर के 10 वार्डों/सैक्टरों में सफाई कार्य की पुनः आनलाईन निविदाएँ वर्ष 2018-19 के तीन माह की अवधि हेतु किसी भी सरकारी संस्था में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों से उनकी पंजीकरण सीमान्तर्गत दिनांक 30.04.2018 को दोपहर 2.00 बजे तक वेबसाईट <http://etender.up.nic.in> पर आन लाईन के माध्यम से ई-निविदाएँ (टैक्निकल/फाईनेन्शियल) डबल बिड सिस्टम से आमन्त्रित की जाती है। निविदा शुल्क प्रत्येक कार्य हेतु 525.00 रु० प्रति कार्य की दर से आईसीआईसीआई बैंक अम्बाला रोड, पार्श्वनाथ प्लाजा सहारनपुर में, जो नगर निगम सहारनपुर द्वारा संचालित खाता संख्या 019101003452 में चालान द्वारा जमा कर निविदा के साथ एवं शर्त के अनुसार मांगे गये हैसियत प्रमाण, चरित्र प्रमाण पत्र, जी०एस०टी०, श्रम विभाग/ई०पी०एफ०/ई०एस०आई० पंजीकरण, ब्लैक लिस्ट न होने का प्रमाण एवं अन्य प्रपत्र अपलोड करना होगा एवं निविदा के साथ जमानत राशि प्रत्येक कार्य में अंकन एक लाख रुपये की एफडीआर/एनएससी जो लेखाधिकारी, नगर निगम, सहारनपुर के नाम बंधक कराकर एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों के साथ संलग्न कर दिनांक 30.04.2018 को सांय 3.00 बजे तक नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम सहारनपुर के कार्यालय में रखे टेन्डर बाक्स में डाल सकते हैं। प्राप्त निविदाएँ दिनांक 30.04.2018 को समिति एवं उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष सांय 4.00 बजे खोली जायेगी। विस्तृत शर्तें/विवरण वेबसाईट <http://saharanpurnagarnigam.in> पर देखा जा सकता है।

क्र० सं०	विवरण				टैण्डर का मूल्य जी०एस०टी० सहित
	निविदा हेतु वार्ड सं० व वार्ड का नाम	वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आबादी	आंगणन धनराशि प्रतिमाह	धरोहर राशि रुपये में	
1	2	3	4	5	
HDWST-01	22 म्युनिसिपल कालोनी	9060	186508.00	1,00,000 /	525.00 रु०
HDWST-10	45 छिपियान	8648	186508.00	1,00,000 /	525.00
HDWST-12	47 खालापार	8573	186508.00	1,00,000 /	525.00 रु०
HDWST-15	16 नवीन नगर	9482	248678.00	1,00,000 /	525.00 रु०
HDWST-17	37 गिल कालोनी	8566	186508.00	1,00,000 /	525.00
HDWST-18	48 आवास विकास	9306	202051.00	1,00,000 /	525.00 रु०
HDWST-19	55 चन्द्रनगर	9852	186508.00	1,00,000 /	525.00 रु०
HDWST-41	69 लुहानी सराये	10257	225364.00	1,00,000 /	525.00 रु०
HDWST-42	40 गुरुद्वारा रोड	8700	186508.00	1,00,000 /	525.00 रु०
HDWST-48	64 वुड सिजनिंग प्लांट	10352	225364.00	1,00,000 /	525.00 रु०

शर्तें (बाबत नगर निगम क्षेत्र के वार्डों/सैक्टरों में सफाई कार्य का ठेका वित्तीय वर्ष 2018-19)

1. यह कि वार्डों/सैक्टरों में सफाई कार्य हेतु, किसी भी सरकारी विभाग/संस्था में पंजीकृत फर्म/ठेकेदारों से निविदाएँ आमन्त्रित की जाती है।
2. यह कि निविदादाता/फर्म/ठेकेदार का चरित्र प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण पत्र, संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में निविदादाता का चयन उपरान्त एक माह तक चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. यह है कि निविदादाता/फर्म/ठेकेदार का जी०एस०टी०/आयकर पैन/लेबर विभाग/ई०पी०एफ०/ई०एस०आई० में पंजीकरण होना अनिवार्य है।

4. यह कि निविदादाता/फर्म/ठेकेदार किसी भी विभाग में ब्लैक लिस्ट न हो, का प्रमाण देना होगा।
5. निविदादाता अधिकतम दो निविदाएँ डाल सकता है।
6. यह कि निविदादाता/फर्म/ठेकेदार की निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त स्वीकृत धनराशि पर सम्बन्धित वार्ड/सैक्टर में पूर्ण रूप से सफाई व्यवस्था करानी होगी।
7. यह कि वार्ड/सैक्टर में सफाई व्यवस्था हेतु यदि आवश्यक/जरूरत पड़े तो निगम, लोडर/वाहन उपलब्ध करायेगा।
8. यह कि निगम द्वारा समय-समय पर वार्ड/सैक्टर की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया जायेगा।
9. वार्ड/सैक्टर में सफाई व्यवस्था ठीक न पाये जाने पर नगर निगम को अधिकार होगा कि सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार/निविदादाता को सात दिन का नोटिस देते हुये कार्यवाही करें यदि इसके उपरान्त भी सफाई व्यवस्था ठीक नहीं पायी जाती है तो नगर आयुक्त को अधिकार होगा कि तीन दिन का नोटिस देते हुये उक्त कार्य का अनुबन्ध/ठेका निरस्त करते हुये, बन्धक की गयी धनराशि को जब्त कर लें। जिस पर ठेकेदार/फर्म/निविदादाता को कोई आपत्ति नहीं होगी।
10. यह कि निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी/निविदा समिति में निहित है।
11. निविदादाता को अपनी लेबर/श्रमिक का ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0 का नियमानुसार अंशदान जमा कराना होगा।
12. यह कि निविदादाताओं को, नियमानुसार समस्त कर (जी0एस0टी0/आयकर, अन्य कोई भी देय कर) तथा श्रमिक हित (ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0) एवं उपकरण व्यय को शामिल करते हुये निविदा देनी होगी। निविदादाता को अपने श्रमिकों का भुगतान शासनादेशानुसार करना होगा अर्थात् नियमानुसार समस्त सरकारी देय/कर को अदा करने की जिम्मेदारी निविदादाता/ठेकेदार/फर्म की होगी।
13. यह कि फर्म/निविदादाता/ठेकेदार को प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत करना होगा।
14. यह कि यदि कार्य के दौरान कोई घटना किसी मजदूर आदि के साथ हो जाती है। उसकी समस्त जिम्मेदारी फर्म/निविदादाता/ठेकेदार की होगी। जिसमें निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
15. यह कि फर्म/निविदादाता/ठेकेदार अपनी लेबर/श्रमिक को सफाई उपकरण जैसे रिक्शा रेहडा/हाथ डेली, तशला, झाड़ू, डाड़ू, फावडा, गेंती आदि अन्य उपकरण स्वयं उपलब्ध करायेगा।
16. यह कि प्रत्येक वार्ड/सैक्टर की अलग-अलग निविदाएँ देनी होगी तथा अलग-अलग ही बन्धक राशि एवं निविदा शुल्क देय होगा।
17. यह कि यदि कोई वाद-विवाद उत्पन्न होता है तो नगर आयुक्त नगर निगम सहारनपुर का निर्णय मान्य होगा। जिस पर फर्म/निविदादाता/ठेकेदार को कोई आपत्ति न होगी।
18. यह कि फर्म/निविदादाता/ठेकेदार को अंकन 100 रु0 का स्टाम्प पेपर अनुबन्ध हेतु प्रस्तुत करना होगा।
19. यह कि शर्त को घटाने/बढ़ाने/संशोधित करने का अधिकार नगर आयुक्त में निहित है।
20. यह कि फर्म/निविदादाता/ठेकेदार को निविदा के साथ अंकन 1,00,000.00 (एक लाख) रु0 की एफ0डी0आर0 लेखाधिकारी नगर निगम सहारनपुर के नाम बन्धक करनी होगी। बिना बन्धक की निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
21. यह कि फर्म/निविदादाता/ठेकेदार को 20 लाख की हैसियत प्रमाण पत्र अथवा 20 लाख का वार्षिक टर्न ऑवर देना अनिवार्य है।
22. यह कि फर्म/निविदादाता/ठेकेदार कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेगा।
23. यह कि फर्म/निविदादाता/ठेकेदार को निर्देशानुसार समय-समय पर होने वाले वी0आई0पी0/धार्मिक/सामाजिक कार्यक्रम के समय सफाई व्यवस्था दिन/रात में करानी होगी। जिसका कोई अतिरिक्त व्यय निगम द्वारा नहीं दिया जायेगा।
24. यह कि फर्म/निविदादाता/ठेकेदार को नाली सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा।
25. यह कि उक्त कार्य का अनुबन्ध/ठेका वित्तीय वर्ष 2018-19 के तीन माह तक के लिये होगा। कार्य संतोषजनक होने पर इसकी अवधि बढ़ायी जा सकती है।
26. यह कि समय-समय पर शासन/प्रशासन से प्राप्त शासनादेश आदि का अनुपालन करना होगा।


 नगर स्वास्थ्य अधिकारी
 नगर निगम सहारनपुर ।